भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1947

दिनांक 17.12.2013/26 अग्रहायण, 1935 (शक) को उत्तर के लिए

जेलों का आधुनिकीकरण

1947. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री जी० एम० सिद्देश्वर:
श्री एंटो एंटोनी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत जेलों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक जेल में इसकी क्षमता की तुलना में रखे गए कैदियों/विचाराधीन कैदियों की संख्या कितनी है तथा कैद की सजा पूरी करने के बाद भी जेल में पड़े कैदियों की लिंग एवं राज्य-वार अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान जेलों के आधुनिकीकरण एवं विभिन्न संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रदत्त/उपयोग की गयी कुल राशि कितनी है तथा महिला कैदियों के बच्चों को उपलब्ध कराई जाने वाली शिक्षा सुविधा अलग-अलग क्या है तथा राशि का पूरा उपयोग नहीं कर पाए राज्यों के नाम क्या है तथा इस संबंध में राज्य-वार क्या कार्रवाई की गयी हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को जेलों की क्षमता बढ़ाने तथा जेलों के आधुनिकीकरण आदि के लिए राशि के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान इनपर सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ड.) देश में जेलों की क्षमता बढ़ाने, राशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने तथा और जेलों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं तथा जेलों की दशा सुधारने एवं विचाराधीन कैदियों एवं सजायाफ्ता कैदियों को अलग-अलग जेलों में रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह)

(क) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 के अंत तक देश में कुल 1394 जेल थे, जिसमें 127 केन्द्रीय जेल, 340 जिला जेल, 806 उप जेल, 20 महिला जेल, 46 ओपन जेल, 21 बोर्सटल स्कूल, 31 विशेष जेल और 3 अन्य जेल शामिल थे। देश में 3,43,169 कैदियों की कुल क्षमता के विरुद्ध वर्ष 2012 के अंत तक जेलों में बंद कैदियों की कुल संख्या 3,85,135 थी। दिनांक 30.11.2012 की स्थिति के अनुसार उनके कैदी रखने की क्षमता की तुलना में प्रत्येक राज्य में जेलों में बंद कैदियों की संख्या गृह मंत्रालय की वेबसाइट के लिंक http://cmsmha.nic.in/sites/upload files/mha/files/NoOf Prisoners13122013.pdf. पर दी गई है।

(ख) से (घ) : तेरहवें वित्त आयोग द्वारा इन आठ राज्यों – आन्ध्र प्रदेश (90 करोड़ रू.), अरुणाचल प्रदेश (10 करोड़ रू.), छत्तीसगढ़ (150 करोड़ रू.), केरल (154 करोड़ रू.), महाराष्ट्र (60 करोड़ रू.), मिज़ोरम (30 करोड़ रू.), ओडिशा (100 करोड़ रू.) और त्रिपुरा (15 करोड़ रू.) को जेलों के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए 609 करोड़ रू. कुल आवंटन में से इन राज्यों को 261.61 करोड़ रू. जारी किए जा चुके हैं।

कुछ राज्य, जो कि वर्ष 2009 में समाप्त हो चुकी जेल आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत उन्हें आवंटित निधियों का अभी तक भी पूरा उपयोग नहीं कर पाए हैं, वे हैं – असम (1.25 करोड़ रू.), छत्तीसगढ़ (6.41 करोड़ रू.), महाराष्ट्र (6 करोड़ रू.), सिक्किम (1.52 करोड़ रू.), उत्तर प्रदेश (0.20 करोड़ रू.) और इन सभी से राशि के पूर्ण उपयोग में तेजी लाने के लिए कहा गया है। दिनांक 18 अप्रैल, 2013 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ, उन्हें जेलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत चार प्रमुख क्षेत्रों, अर्थात, सुधार गृहों की क्षमता में वृद्धि, कैदियों की जीवन दशा में सुधार, सुधार गृहों की पुन: एकीकरण क्षमता में सुधार और जेलों की सुरक्षा में सुधार को कवर करते हुए जेल आधुनिकीकरण योजना के द्वितीय चरण हेतु विचारार्थ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से विशेष प्रस्ताव मांगे गए थे। 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उपर्युक्त तर्ज पर अपने प्रस्ताव भेज दिए हैं, जबकि त्रिपुरा, सिक्किम, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और दमन एवं दीव ने अभी तक अपने प्रस्ताव नहीं भेजे हैं। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से शीघ्र प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है।

(ड.) : हालांकि, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-।। की प्रविष्टि 4 के अधीन "जेल" राज्य का विषय है और जेलों के प्रशासन एवं प्रबन्धन की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है, तथापि भारत सरकार अधिक संख्या में जेलों, बैरकों एवं स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के माध्यम से जेल आधुनिकीकरण के लिए निधियां प्रदान करती रही है और इस संबंध में प्रगति की निगरानी भी करती है।

*****